

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.4(1)परि/2019

जयपुर, दिनांक:- 22.07.2019

-:अधिसूचना:-

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59 सन 1988) की धारा 89 की उप धारा (02) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Estt.B-2(v)/1/WA/2019/6237 दिनांक 08.07.2019 के अनुसरण में राज्य सरकार श्री हरिनारायण सारस्वत (RHJS) न्यायाधीश, श्रम न्यायालय नं0-02 जयपुर को अपने पद के कार्य के अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक पीठासीन अधिकारी राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, राजस्थान, जयपुर के सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह/-
(पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
12. सदस्य राज्य परिवहन एवं अपीलीय अधिकरण राजस्थान जयपुर।
13. श्री हरिनारायण सारस्वत न्यायाधीश, श्रम न्यायालय नं0-02 जयपुर सदस्य, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उन्हें आवंटित कार्य के साथ अतिरिक्त आवंटित प्रभार के निर्धारित मानक का कम से कम 40% कार्य की उपलब्धि करेंगे।
14. सदस्य क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार राजस्थान जयपुर।
15. निदेशक, जन-संपर्क विभाग राजस्थान जयपुर।
16. अपर परिवहन आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
17. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार राजस्थान जयपुर।
18. समस्त क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी,।
19. समस्त जिला परिवहन अधिकारी,।
20. विधि कार्डिनेशन विभाग को अतिरिक्त प्रति सहित।
21. मंत्रीमंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति विभाग राजस्थान जयपुर।
22. अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को भिजवाकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाने का श्रम करावे।
23. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग, विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।

0,1
उप शासन सचिव 22/7/24